

[भारत के राज-पत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

\*\*\*\*\*

अधिसूचना सं० 38 / 2018-सीमाशुल्क (गै.टे.)

नयी दिल्ली, 11 मई, 2018

सा. का. नि. \_\_ (अ).- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 30, 30क, 41, 41क, 53, 54, 56, धारा 98 की उप-धारा (3) और धारा 158 की उप-धारा (2)के साथ पठित धारा 157 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कराते हुये और इंपोर मैनीफेस्ट (वेसेल्स), रेग्युलेशन्स, 1971, एक्सपोर्ट मैनीफेस्ट (वेसेल्स), रेग्युलेशन्स, 1976 और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स (थ्रो फ़ारेन टेरिटरी), रेग्युलेशन्स, 1965 का अधिक्रमण कराते हुये केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतदद्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा: -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ - (1) इन विनियमों को सी कार्गो मैनीफेस्ट एंड ट्रांस शिपमेंट रेग्युलेशन्स, 2018 कहा जाएगा।  
(2) ये विनियम 1 अगस्त, 2018 से लागू होंगे।
2. परिभाषायें -(1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

- (क) "अधिनियम" से अभिप्राय सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) से है;
- (ख) "आगमन मैनीफेस्ट" से अभिप्राय उस एकीकृत घोषणा से है, जो कि आयातित माल, निर्यात माल को लाने वाले जहाज या रेलगाड़ी या ट्रक के पहुँचने पर किसी प्राधिकृत कैरियर के द्वारा किया जाना जरूरी होता है;
- (ग) "प्राधिकृत कैरियर" से अभिप्राय ऐसे प्राधिकृत सी कैरियर, प्राधिकृत ट्रेन आपरेटर, शिपिंग लाइन्स या कस्तोडियन्स से है जो कि विनियम 3 के अंतर्गत पंजीकृत हों;
- (घ) "प्राधिकृत सी कैरियर" से अभिप्राय जहाज के ऐसे किसी मालिक जो कि आयातित माल, निर्यात माल या तटीय माल को ला रहा हो या ले जा रहा हो, से या उसके एजेंट से है;
- (ङ) "प्राधिकृत ट्रेन आपरेटर" से अभिप्राय ऐसे ट्रेन आपरेटर से है, जो कि आयातित माल, निर्यात माल या तटीय माल को ला रहा हो या ले जा रहा हो;
- (च) "निर्धारित विदेशी मार्ग से भेजे जाने वाले तटीय माल" से अभिप्राय

- (i) उस तटीय माल से है जो कि पूर्वी तट पर स्थित किसी भारतीय पोर्ट से पश्चिमी तट पर स्थित किसी अन्य भारतीय पोर्ट, या विलोमतः, पर किसी जहाज के द्वारा श्रीलंका के जल-क्षेत्र से होते हुये, भेजा गया हो, चाहे जहाज को बदलना पड़ा हो या नहीं;
- (ii) उस तटीय माल से है जिसे भारत के पूर्वी तट पर स्थित किसी पोर्ट या नदी पोर्ट के बीच या विलोमतः किसी जहाज के द्वारा बंगलादेश के जल-क्षेत्र से होते हुये तथा बिना जहाज को बदले भेजा गया हो;
- (छ) “कस्टोडियन” से अभिप्राय किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क ने इस उद्देश्य के लिए अनुमोदित किया हो;
- (ज) “प्रस्थान मैनीफेस्ट” से अभिप्राय ऐसी एकीकृत घोषणा से है जिसे निर्यातित माल, निर्यात माल, या तटीय माल के जहाज, या रेल गाड़ी या ट्रक के प्रस्थान के पहले प्राधिकृत कैरियर द्वारा किया जाना जरूरी होता है;
- (झ) “फार्म” से अभिप्राय इन विनियमों में संलग्न फार्म से से है;
- (ञ) “अधिकार क्षेत्र वाले सीमाशुल्क आयुक्त” से अभिप्राय उस सीमाशुल्क आयुक्त से है जिसने विनियम 3 के अंतर्गत पंजीकरण किया है;
- (ट) “विशेष आर्थिक जोन (एस ई जेड)” से अभिप्राय विशेष आर्थिक जोन्स अधिनियम, 2005 (2005 का 28) के अनुसार निर्धारित विशेष आर्थिक जोन से है;
- (ठ) इन विनियमों के उद्देश्य के लिये आयुक्त, सीमाशुल्क से संदर्भित किसी भी संदर्भ में प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क का भी संदर्भ आयेगा।

(2) ऐसी कोई भी अभिव्यक्ति और शब्द जिनका यहाँ प्रयोग तो हुआ है लेकिन उनको यहाँ परिभाषित नहीं किया गया है, का अर्थ वही होगा जो क्रमशः इनके लिये इस अधिनियम में दिये गए होंगे।

3. पंजीकरण- (1) ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके लिये आगमन मैनिफेस्ट या प्रस्थान मैनिफेस्ट को जमा करना जरूरी होगा, को अधिकार क्षेत्र वाले सीमाशुल्क के यहाँ फार्म-1 पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा।

(2) जहां अधिकार क्षेत्र वाले सीमाशुल्क आयुक्त आवेदक द्वारा फार्म-1 में दी गयी जानकारी से संतुष्ट हैं, वहाँ वह ऐसे आवेदक का इन विनियमों के अंतर्गत कारोबार करने कि बावत पंजीकरण, ऐसे पंजीकरण कि तारीख से पाँच वर्ष कि अवधि के लिए, कर लेगा।

(3) इन विनियमों के अंतर्गत किसी भी कस्टम्स स्टेशन पर पंजीकृत कोई भी प्राधिकृत कैरियर के बारे में यह माना जाएगा कि जैसे वह इन विनियमों के अंतर्गत कारोबार करने के लिए अन्य कस्टम्स स्टेशनों पर भी पंजीकृत है।

(4) अधिकार क्षेत्र वाला सीमाशुल्क आयुक्त पंजीकरण के प्रारम्भिक तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पहले ऐसे पंजीकरण कि समीक्षा करेगा और ऐसे पंजीकरण को एक बार में अगले पाँच वर्ष की अवधि तक बढ़ाता जाएगा और किसी प्राधिकृत ईकोनोमिक आपरेटर के मामले में इसे एक बार में दस वर्ष के लिए बढ़ा सकेगा।

4. आगमन मैनिफेस्ट का भरा जाना-(1) आयातित माल, निर्यात माल या तटीय माल को लाने वाले प्रत्येक प्राधिकृत सी-कैरियर को यथोचित अधिकारी के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से आगमन मैनिफेस्ट भरना होगा:

बशर्ते कि जहां आगमन मैनिफेस्ट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भरा जाना संभव न हो, वहाँ ऐसे मैनिफेस्ट को आयुक्त सीमाशुल्क के अनुमोदन से मैन्युअली तथा दो प्रतियों में भरा जा सकता है।

(2) आगमन मैनिफेस्ट में निम्नलिखित ब्यौरे देने होंगे, -

(क) फार्म-II में अन्तः प्रवेश हेतु आवेदन (अनन्य रूप से तटीय माल को धोने वाले जहाज के मामले को छोड़ कर);

(ख) फार्म-III में एक सामान्य घोषणा;

(ग) फार्म-IV में जहाज के स्टोर्स की सूची;

(घ) मास्टर और चालक दल के कब्जे में की निजी सम्पत्ति की फार्म- V में सूची

(ङ) कार्गो से संबन्धित घोषणा:-

(i) किसी विदेशी पोर्ट से किसी भारतीय पोर्ट पर पहुँचने वाले जहाज के मामले में फार्म-VI क में; या

(ii) किसी भारतीय पोर्ट पर किसी अन्य भारतीय पोर्ट से सीधे या किसी निर्दिष्ट विदेशी मार्ग से पहुँचने वाले जहाज के मामले में फार्म-VI ख में;

(च) ऐसी कोई अन्य घोषणा जो सीमाशुल्क अधिनियम या तत्समय लागू किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत के जहाज के पहुँचने पर किसी यथोचित अधिकारी के यहाँ की जानी जरूरी हो।

(3) सामान्य घोषणा और कार्गो घोषणा की अंतिम पोर्ट ऑफ काल से प्रस्थान के पहले करनी होगी और बाकी आगमन मैनीफेस्ट को जहाज के पहुँचने के पहले देना होगा।

5. प्रस्थान मैनीफेस्ट को जमा करना -(1) आयातित माल, निर्यात माल या तटीय माल या ऐसा माल जिसे विदेशी मार्ग या विदेशी ट्रांसशिपमेंट से भेजा जाना हो को लाने वाले किसी प्राधिकृत सी-कैरियर को पोर्ट से जहाज के प्रस्थान के पहले यथोचित अधिकारी के पास प्रस्थान माइफेस्ट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कारण होगा:

बशर्ते कि जहां प्रस्थान मैनिफेस्ट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भरा जाना संभव न हो, वहाँ ऐसे मैनिफेस्ट को आयुक्त सीमाशुल्क के अनुमोदन से मैनुअली तथा दो प्रतियों में भरा जा सकता है।

(2) प्रस्थान मैनिफेस्ट में निम्नलिखित ब्यौरे देने होंगे, -

(क) फार्म-III में एक सामान्य घोषणा;

(ख) फार्म-IV में जहाज के स्टोर्स की सूची;

(ग) फार्म-V में मास्टर और चालक दल के कब्जे में की निजी सम्पत्ति की सूची

(घ) कार्गो से संबन्धित घोषणा:-

(i) किसी भारतीय पोर्ट से किसी विदेशी पोर्ट के लिए प्रस्थान करने वाले जहाज के मामले में फार्म- VII क में; या

(ii) किसी भारतीय पोर्ट से किसी अन्य भारतीय पोर्ट को सीधे या किसी निर्दिष्ट विदेशी मार्ग से जाने के लिए प्रस्थान करने वाले जहाज के मामले में फार्म-VII ख में;

(इ) ऐसी कोई अन्य घोषणा जो सीमाशुल्क अधिनियम या तत्समय लागू किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत के जहाज के पहुँचने पर किसी यथोचित अधिकारी के यहाँ की जानी जरूरी हो।

6. विशेष कार्गो से संबन्धित घोषणा. -(1) निम्नलिखित अर्थात्-

(क) शस्त्र;

(ख) अस्त्र;

(ग) विस्फोटक सामाग्री;

(घ) स्वापक और मनः प्रभावी पदार्थ;

(इ) घटक ड्रग्स;

(च) सोना;

(छ) चाँदी;

(ज) रेडियो धर्मिता वाले पदार्थ

के बारे में आयात, निर्यात, ट्रांशिपमेंट या इनको बॉटम कार्गो के रूप में ले जाने के लिए कार्गो घोषणा एक अलग पत्र पर की जाएगी और इसे लदान वाले पत्तन पर किया जाना होगा।

(2) जहां किसी जहाज में उपर्युक्त में से किसी भी कार्गो को न लाया जाता हो, वहाँ शून्य घोषणा की जाएगी।

7. आयातित माल और निर्यातित माल का किसी पोर्ट/ ICD और इनलैंड कंटेनर डिपो (ICD)/ कंटेनर फ्राइट स्टेशन (CFS)/ विशेष आर्थिक ज़ोन(SEZ) के बीच ट्रांशिपमेंट. - किसी भी प्राधिकृत कैरियर को किसी रेल या ट्रक के प्रस्थान के पहले प्रस्थान मेनिफेस्ट या किसी रेल या ट्रक के पहुँचने पर, जैसी भी स्थिति हो, आगमन मेनिफेस्ट को फॉर्म-VIII में भरना होगा।

8. आगमन या प्रस्थान मेनिफेस्ट में संशोधन. -जहां कि आयुक्त, सीमाशुल्क द्वारा नामित कोई यथोचित अधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि आगमन मेनिफेस्ट या प्रस्थान मेनिफेस्ट किसी प्रकार गलत है, या अपूर्ण है और दिये गए तथ्यों से संबन्धित ऐसी गलत या अपूर्ण जानकारी देने के पीछे धोखाधड़ी का कोई इरादा नहीं है, तो वहाँ वह इसमें संशोधन करने या पूरा करने की अनुमति दे सकता है।

9. ट्रांशिपमेंट या निर्दिष्ट विदेशी मार्ग से भेजे जाने पर लागू शर्तें. -(1) ट्रांशिपमेंट की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी-

(क) किसी भी कस्टम्स स्टेशन को ट्रांशिपमेंट किए जाने से संबन्धित माल का उल्लेख, आगमन मेनिफेस्ट या प्रस्थान मेनिफेस्ट, जैसी भी स्थिति हो, में होना चाहिए;

(ख) ऐसा ट्रांशिपमेंट जहाज, रेल या ट्रक, या इनमें से दो या दो से अधिक परिवहन साधनों के संयोजन से हो रहा हो;

(ग) प्राधिकृत कैरियर फॉर्म- IXक या फॉर्म- IXख या फॉर्म- IXग या फॉर्म- IXघ, जो भी लागू हो में बंध पत्र भरता हो, साथ में चाहे बैंक गारंटी या प्रतिभूति हो या नहीं हो: बशर्ते कि जहां माल का ट्रांशिपमेंट दो समुद्री पोर्टों के बीच सीधे हो रहा हो, वहाँ किसी बंध पत्र या बैंक गारंटी को भरने की जरूरत नहीं होती;

(घ) ऐसे आयातित माल के बारे में जिसका भू मार्ग से ट्रांशिपमेंट किया जाना हो, आयुक्त, सीमाशुल्क के द्वारा यथोचित अधिकारी ऐसे शिपमेंट की अनुमति देने के पहले कंटेनर को सीलबंद करेगा।

(2) किसी निर्दिष्ट विदेशी भू क्षेत्र से होकर भेजे जाने वाले तटीय माल, जो कि मेनिफेस्ट में उल्लिखित हो, के मामले में प्राधिकृत कैरियर को फॉर्म- Xक या फॉर्म- Xख या फॉर्म- Xग या फॉर्म- Xघ, जो भी लागू हो, में बंध पत्र भरना होगा, चाहे इसके साथ बैंक गारंटी या प्रतिभूति दी गयी हो या नहीं।

10. इन विनियमों के अंतर्गत प्राधिकृत कैरियर की ज़िम्मेदारी. -(1) कोई भी प्राधिकृत कैरियर-

(क) स्वयं व्यक्तिगत रूप से या अपने किसी कर्मचारी के माध्यम से, जो कि उपायुक्त या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया हो, के द्वारा अपना कारोबार करेगा;

(ख) आयातित माल, निर्यात माल, तटीय माल या अन्य माल, जो कि ट्रांशिपमेंट के लिए लाया गया हो, जैसी भी स्थिति हो, का रिकॉर्ड रखेगा और जब भी यथोचित अधिकारी द्वारा मांगा जाएगा, वह ऐसा रिकॉर्ड प्रस्तुत करेगा;

(ग) आयातित माल, निर्यात माल, तटीय माल या अन्य माल, जो कि ट्रांशिपमेंट के लिए लाया गया हो, के आवागमन या उनकी देखरेख का रिकॉर्ड रखेगा;

(घ) आयातित माल, निर्यात माल, तटीय माल या अन्य माल, जो कि ट्रांशिपमेंट के लिए लाया गया हो, के स्थान का पता लगाने के लिए मार्ग उपलब्ध कराएगा और सुविधाओं का पता लगाएगा;

(ङ) अपनी अभिरक्षा में स्थित आयातित माल, निर्यात माल या तटीय माल की सुरक्षा, रक्षा तथा डिलीवरी के प्रति जिम्मेदार होगा;

(च) माल की चोरी चकारी या सीमाशुल्क क्षेत्र या रास्ते में इनके परिवहन या ट्रांशिपमेंट के दौरान होने वाली क्षति पर शुल्क का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा;

(छ) घातक माल के पुनः निर्यात करने के प्रति, जहां कि ऐसे माल को निर्यातक देश के पास वापिस निर्यात करने का आदेश दिया गया हो, जिम्मेदार होगा;

(ज) अपने ग्राहक को इस अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करने की सलाह देगा और इनका अनुपालन ना किए जाने पर उपायुक्त या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, की जानकारी में यह बात लाएगा;

(झ) सरकारी दस्तावेज़ या किसी भी प्रकार के अन्य सरकारी स्रोत, जहां तक उसके पहुँचने की अनुमति यथोचित अधिकारी द्वारा ना दी गयी हो, से न तो कोई जानकारी प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने की कोशिश करेगा;

(ञ) आयातकर्ता या कंसाइनी को डिलीवरी ऑर्डर के ईलेक्ट्रॉनिक पारेषण को और अभिरक्षी या यथोचित अधिकारी को इसकी जानकारी दिये जाने को सुनिश्चित करेगा;

(ट) तटीय क्षेत्र में आयातित माल या निर्यात माल या तटीय माल के संबंध में अपने द्वारा प्रदान की गयी विभिन्न सेवाओं के प्रभार सूची को प्राधिकृत कैरियर के वेबसाइट या वेब पेज समेत प्रमुख स्थानों पर प्रकाशित और प्रदर्शित करेगा;

(ठ) सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा पकड़े गये या अवरुद्ध किए गये या जब्त किए गये माल पर कोई भी किराया या विलंब शुल्क नहीं लगायेगा;

(ड) इस अधिनियम के सभी प्रावधानों और इनके अंतर्गत जारी किए गए नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं और आदेशों का पालन करेगा;

(2) प्राधिकृत कैरियर को जो भी कार्य करने की अनुमति होगी या जो उसको करना उसके लिए अनिवार्य होगा, उसको को ना तो वह किसी अन्य व्यक्ति से करवाएगा ना अनुबंधित करेगा और ना अन्य स्रोत से करवाएगा।

11. किसी प्राधिकृत कैरियर के पंजीकरण के प्रचालन का आस्थगन या उसको वापस लेना. -

(1) यदि कोई प्राधिकृत कैरियर इस विनियम के किसी भी प्रावधान का अनुपालन नहीं कर पाता है तो अधिकार क्षेत्र वाला सीमाशुल्क आयुक्त उसे पंजीकरण को वापस ले सकता है।

(2) यदि किसी सीमाशुल्क स्टेशन के सीमाशुल्क आयुक्त को यह यथोचित विश्वास हो जाता है कि ऐसे प्राधिकृत कैरियर का काम करना राजस्व के हित में घातक है तो वह अपने अधिकार क्षेत्र में उसके कार्य को आस्थगित, ऐसे आस्थगन के आधार को बताते हुए आदेश जारी करके, कर सकता है।

(3) सीमाशुल्क आयुक्त, ऐसे आस्थगन आदेश को जारी किए जाने की तारीख से 15 दिन के भीतर, व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सुनवाई की तारीख से 15 दिन के भीतर, जैसा वह उचित समझे आस्थगन को वापिस लेने या इसको और अगली अवधि जो कि आस्थगन की तारीख से 90 दिन से अधिक नहीं होगी, जैसी भी स्थिति हो, का आदेश जारी करेगा।

बशर्त कि जहाँ उक्त प्राधिकृत कैरियर के खिलाफ ऐसे आस्थगन को जारी रखा गया हो

वहाँ संबन्धित सीमाशुल्क आयुक्त ऐसे आदेश को जारी किए जाने की तारीख से 15 दिन के भीतर अधिकार क्षेत्र वाले सीमाशुल्क आयुक्त को ऐसे आदेश के बारे में सूचित करेगा।

12. पंजीकरण को वापस लिए जाने की प्रक्रिया.- (1) अधिकार क्षेत्र वाला सीमाशुल्क आयुक्त प्राधिकृत कैरियर को लिखित नोटिस जारी करके उन कारणों को बताएगा जिनके आधार पर उसके पंजीकरण को वापस लिए जाने का प्रस्ताव है और वह उस व्यक्ति से यह कहेगा कि वह ऐसे समय के भीतर जो कि नोटिस में उल्लिखित हो लेकिन यह 30 दिन से कम ना हो, उपायुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, जो कि उसके द्वारा नामित किए गए हो, को अपने बचाव में लिखित व्यक्तव्य दे और उक्त व्यक्तव्य में यह स्पष्ट करें कि क्या वह उक्त उपायुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई का किया जाना चाहता है या नहीं।

(2) ऐसे प्राधिकृत कैरियर के लिखित व्यक्तव्य के प्राप्त होने पर या जहाँ ऐसा व्यक्तव्य नोटिस में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर नहीं प्राप्त होता है तो उस समय उपायुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, नोटिस में उल्लिखित उन कारणों की जांच करेगा जिनके आधार पर पंजीकरण को वापस लिया जाना है।

(3) सही सही स्थिति का पता लगाने के लिए उपायुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क इस जांच कार्य के दौरान ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करेगा और ऐसे मौखिक साक्ष्य को लेगा जो कि ऐसी जांच के लिए आवश्यक हो और वह ऐसे किसी भी व्यक्ति से प्रश्न पूछ सकेगा जो प्राधिकृत कैरियर के पक्ष में या उसके खिलाफ साक्ष्य दे सके।

(4) प्राधिकृत कैरियर को यह अधिकार होगा कि वह कार्यवाही के आधार के बारे में परीक्षण किए जाने वाले व्यक्तियों से प्रति- प्रश्न कर सकता है और जहाँ उपायुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछे जाने को इस आधार पर माना करता है कि उसका साक्ष्य संगत या सारवान नहीं है तो वह ऐसा करने के अपने कारणों को लिखित में दर्ज करेगा।

(5) उपायुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, जांच खत्म होने के बाद इसकी एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें जांच के अपने निष्कर्षों को दर्ज करेगा।

(6) अधिकार क्षेत्र वाले सीमाशुल्क आयुक्त उक्त प्राधिकृत कैरियर को उपायुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क कि रिपोर्ट की एक प्रति उपलब्ध कराएगा और उक्त प्राधिकृत कैरियर से कहेगा कि वह निर्धारित अवधि जो कि 30 दिन से कम नहीं होगी, के

भीतर चाहे तो उपायुक्त, सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क के उक्त निष्कर्षों के खिलाफ अपनी कोई बात कह सकता है।

(7) अधिकार क्षेत्र वाले सीमाशुल्क आयुक्त, उक्त जांच रिपोर्ट पर तथा उस पर प्राधिकृत कैरियर के किसी निवेदन, यदि कोई हो, पर विचार करेगा और जैसा भी उचित समझे, उस पर अपना आदेश देगा।

13. दंड का लगाया जाना. -ऐसे किसी भी प्राधिकृत कैरियर, जिसने की इन प्रावधानों का उल्लंघन किया हो दंड, जो कि पचास हजार रुपये तक का हो सकता है का भागी होगा।
14. अपील- कोई भी व्यक्ति जिसे इस विनियम के अंतर्गत पारित किसी निर्णय या आदेश से शिकायत है उक्त अधिनियम के अंतर्गत सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क और अपीलीय न्यायाधिकरण, जिसकी स्थापना उक्त अधिनियम की धारा 129 की उपधारा (1) के अंतर्गत की गयी है, में अपील कर सकता है।

[फाइल नंबर 450/58/2015- कस्टम्स IV]

(जुबैर रियाज़)  
निदेशक (सीमाशुल्क)

फॉर्म - I

[देखे विनियम 3 (1)]

**पंजीकरण के लिए आवेदन**

1. आवेदक का नाम, स्थायी खाता संख्या के साथ (पैन):-  
(यदि आवेदक एक फर्म या कंपनी है, तो ऐसे फर्म के प्रत्येक भागीदार का नाम या ऐसी कंपनी के निदेशक का नाम)
2. संपर्क विवरण:  
फोन नंबर:  
  
ईमेल पता:
3. आवेदक का पूरा पता:-  
(यदि आवेदक एक फर्म या कंपनी है, तो ऐसे फर्म के प्रत्येक भागीदार का पूरा पता या ऐसी कंपनी के निदेशक का पूरा पता)
4. प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और पता:-  
(यदि आवेदक एक फर्म या कंपनी है, तो इसके भागीदारों या निदेशक या निदेशकों या प्राधिकृत अधिकृत कर्मचारियों जिसको कि वास्तव में आगमन/ प्रस्थान मेनिफेस्ट को भरने के लिए नियुक्त किया गया हो, का नाम)
5. आगमन/ प्रस्थान मेनिफेस्ट को भरने के लिए वास्तव में लगाए गए प्रत्येक व्यक्तियों की शैक्षिक योग्यता:-
6. आवेदक के खिलाफ सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किए गए मामलों का ब्योरा, यदि कोई हो:-
7. संगलगनक: -  
(क) अनुबंध की प्रति, या  
(ख) समझौता ज्ञापन, या  
(ग) विदेशी प्राधिकृतकर्ता एजेंट के साथ हुआ करार।

में/ हम घोषणा करता हूँ/ करती हूँ/ करते हैं कि उपर्युक्त पैराग्राफ में दिया गया विवरण मेरी/ हमारी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य है।

तारीख: -

स्थान:-

*आवेदक के हस्ताक्षर*

फॉर्म - II

[देखे- विनियम 4 (2) (क)]

[प्रवेश हेतु आवेदन]

क्रम संख्या	क्षेत्र का विवरण	
(1)	(2)	(3)
1.	कस्टमस हाउस कोड	
2.	अराइवल मेनिफेस्ट नंबर	
3.	अराइवल मेनिफेस्ट तारीख	
4.	जहाज का IMO कोड	
5.	जहाज कोड (कॉल साइन)	
6.	यात्रा संख्या	
7.	शिपिंग लाइन कोड	
8.	प्राधिकृत सी कैरिएर कोड	
9.	मालिक का नाम	
10.	आगमन का बंदरगाह	
11.	लास्ट पोर्ट कॉलड	
12.	क्रम संख्या 11 में उल्लिखित पोर्ट से पहले का पोर्ट कॉलड	
13.	क्रम संख्या 12 में उल्लिखित पोर्ट से पहले का पोर्ट कॉलड	
14.	जहाज का प्रकार	
15.	कुल लाइंस की संख्या	
16.	संक्षिप्त कार्गो विवरण	
17.	लाइट हाउस बकाया (भारतीय रुपये में)	
18.	शिप स्टोर्स घोषणा (ना /हाँ)	
19.	क्रू लिस्ट घोषणा (ना /हाँ)	
20.	यात्री लिस्ट घोषणा (ना /हाँ)	
21.	क्रू इफैक्ट घोषणा (ना /हाँ)	
22.	मैरिटाइम घोषणा (ना /हाँ)	
23.	टर्मिनल ऑपरेटर कोड	

फॉर्म- III

[देखे- विनियम 4 (2) (ख) और 5 (2) (क)]

[सामान्य घोषणा]

क्रम संख्या	विवरण	
(1)	(2)	(3)
1.	शिपिंग लाइंस, एजेंट आदि का नाम	
2.	प्राधिकृत सी कैरिएर कोड	
3.	जहाज का नाम और विवरण	
4.	आगमन पोर्ट	
5.	आगमन की प्रत्याशित तारीख और समय	
6.	जहाज की राष्ट्रियता	
7.	मालिक का नाम	
8.	पंजीकरण प्रमाण पत्र (पोर्ट, तारीख, नंबर)	
9.	जहाज के एजेंट का नाम और पता	
10.	सकल टनेज	
11.	निवल टनेज	
12.	चालकों की संख्या (मास्टर सहित)	
13.	चालक दल की सूची	
14.	यात्रियों की संख्या	
15.	यात्री सूची	

फॉर्म- IV

[देखे- विनियम 4 (2) (ग) and 5 (2) (ख)]  
(वेसेल स्टोर सूची)

क्रम संख्या	विवरण	
1	आगमन प्रस्थान /मेनिफेस्ट संख्या	
2	आगमन प्रस्थान /मेनिफेस्ट की तारीख	
3	सवार यात्रियों की संख्या	
4	ठहरने की अवधि	
5	भंडारण का स्थान	
6	वस्तुओं का नाम और उनकी मात्रा	

नोट: अंतिम पोर्ट ऑफ कॉल से प्रस्थान के समय की वेसेल्स स्टोरेज सूची को जहाज के आगमन पर भी प्रस्तुत करना होगा।

फॉर्म - V

[देखें- विनियम 4 (2) (घ) और 5 (2) (ग)]

(क्रू ईफेक्ट्स घोषणा)

क्रम संख्या	विवरण			
1	आगमन प्रस्थान /मेनिफेस्ट संख्या			
2	आगमन प्रस्थान /मेनिफेस्ट की तारीख			
3	व्यक्ति का नाम	रेटिंग रैंक	ईफेक्ट्स जिन पर की इयूटी लगती हो या जो प्रतिषेध या निषेध के अधीन हैं या ईफेक्ट्स जिनका मोल 3000 रूपये से अधिक हो (जैसे की शराब, स्पिरिट, सिगरेट, तंबाकू, मुद्रा आदि)	हस्ताक्षर

नोट: अंतिम पोर्ट ऑफ कॉल से प्रस्थान के समय मास्टर और क्रू के पास रहने वाली निजी संपत्ति की सूची को जहाज के आगमन पर भी प्रस्तुत करना होगा।

फॉर्म – VIक

[देखे विनियम 4 (2) (ड) (i)]

यह फॉर्म निम्नलिखित श्रेणी के माल पर लागू होता है, यथा:-

**माल जिसे उतारा जाना है:**

- (i) माल (अन- एकंपनिड बैगेज समेत) जिसे होम क्लियरेंस के लिए उतारा जाना है;
- (ii) माल (अन- एकंपनिड बैगेज समेत) जिसे अन्य भारतीय पोर्ट पर क्लियरेंस के लिए उतारा जाना है (घरेलू ट्रांसशिपमेंट)
- (iii) माल जिसे उतारा जाना है लेकिन उसे विदेशी पोर्ट पर भी भेजा जाना है (विदेशी ट्रांसशिपमेंट)

**माल जो अभी भी लदा हुआ है:**

- (i) घरेलू ट्रांसिट माल
- (ii) विदेशी ट्रांसिट माल

स्पष्टीकरण 1: घरेलू क्लियरेंस हेतु माल से अभिप्राय ऐसे माल से है जिसको कि घरेलू खपत के लिए या उतराई वाले पोर्ट पर भंडारण के लिए क्लियर किया जाना है।

स्पष्टीकरण 2: किसी अन्य भारतीय पत्तन पर क्लियरेंस हेतु माल से अभिप्राय ऐसे माल से है जिसको कि उतराई वाले किसी अन्य भारतीय पत्तन या किसी इनलैंड कंटेनर डिपो पर घरेलू क्लियरेंस के लिए क्लियर किया जाना है।

स्पष्टीकरण 3: घरेलू ट्रांसिट माल से अभिप्राय ऐसे माल से है जिसको कि भारतीय पोर्ट, जिसमें ICD/SEZ भी आते हैं, पर भेजा जाना है और इसको उस पोर्ट पर लदे रहना है जहां कि मेनिफेस्ट को भरा जाना है।

स्पष्टीकरण 4: विदेशी ट्रांसिट कार्गो से अभिप्राय ऐसे माल से है जिसको कि विदेशी पोर्ट, पर भेजा जाना है और वहाँ इसे पोर्ट पर लदे रहना है जहां कि मेनिफेस्ट को भरा जाना है।

नोट: उतारे जाने वाले कार्गो (अन- एकंपनिड बैगेज समेत) का ब्योरा, जिसकी घोषणा संबन्धित फॉर्मों में की गयी है, अवतरण पोर्टों के अनुसार ही रखी जाएगी।

क्रम संख्या	क्षेत्र का विवरण	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1.	कस्टमस हाउस कोड	
2.	जहाज का IMO कोड	
3.	जहाज कोड (कॉल साइन)	
4.	समुद्री यात्रा संख्या	
5.	आगमन मेनिफेस्ट नंबर	स्वतः सृजित
6.	आगमन मेनिफेस्ट तारीख	स्वतः सृजित
7.	लाइन संख्या	
8.	सब लाइन संख्या	
9.	मास्टर B/L नंबर	
10.	मास्टर B/L तारीख	
11.	हाउस B/L नंबर	
12.	हाउस B/L तारीख	
13.	अवतरण पत्तन	
14.	कंसाइनर का नाम	[जैसा कि हाउस लदान बिल में दिया गया हो, जहां मास्टर लदान बिल और हाउस लदान बिल दोनों उपलब्ध हो]
15.	कंसाइनर का पता	[जैसा कि हाउस लदान बिल में दिया गया हो, जहां मास्टर लदान बिल और हाउस लदान बिल दोनों उपलब्ध हो]
16.	कंसाइनर कोड (यदि कोई हो)	
17.	कंसाइनी का नाम	[जैसा कि हाउस लदान बिल में दिया गया हो, जहां मास्टर लदान बिल और हाउस लदान बिल दोनों उपलब्ध हो]
18.	कंसाइनी का कोड (IEC/GSTIN आदि)	
19.	कंसाइनी का पता	[जैसा कि हाउस लदान बिल में दिया गया हो, जहां मास्टर लदान बिल और हाउस लदान बिल दोनों उपलब्ध हो]
20.	किसी अन्य अधिसूचित पार्टी का नाम	
21.	अधिसूचित पार्टी का पैन नंबर	

22.	अधिसूचित पार्टी का पता				
23.	कार्गो का प्रकार (कंटेनर में बंद/ कंटेनर में बंद ना किया हुआ/ द्रव पदार्थ भारी मात्र में / शुष्क पदार्थ भारी मात्र में, आदि)				
24.	मद का प्रकार (सरकारी कार्गो, अन- एकंपनिड बैगेज और अन्य कार्गो)				
25.	कार्गो का चलन ( घरेलू ट्रांसशिपमेंट, विदेशी ट्रांसशिपमेंट , घरेलू ट्रांसिट, विदेशी ट्रांसिट)				
26.	प्रवेश पोर्ट				प्रवेश पोर्ट से अभिप्राय ऐसे पोर्ट से है जहां कि माल को उतारा जाता हो और उसके बाद उसे ट्रांसशिपमेंट के लिए अन्य किसी वाहन में (जिसमे रेलगाड़ी भी शामिल है) लादा जाना हो
27.	गंतव्य पोर्ट /ICD/ CFS /SEZ				
28.	परिवहन का साधन (प्रस्थान पोर्ट से गंतव्य पोर्ट के बीच) क्रमवार				
	से	तक	परिवहन का साधन	प्राधिकृत कूरियर कोड	प्राधिकृत कैरियर का बॉन्ड नंबर
	प्रस्थान पोर्ट	-----			
	-----	गंतव्य पोर्ट			
29.	माल का विवरण	HS कोड	UNO कोड	IMDG कोड	
30.	कंटेनर नंबर				
31.	पैकेजों की संख्या				
32.	पैकेजों पर मार्क और नंबर				
33.	पैकेजों का प्रकार				
34.	सकल भार				
35.	निवल भार				
36.	भार की इकाई				
37.	सकल मात्रा				
38.	मात्रा की इकाई				
39.	कन्साईन्मेंट का इन्वाइस मूल्य				

40.	मुद्रा कोड	
41.	शिपिंग लाइन कोड	
42.	शिपिंग लाइन बॉन्ड नंबर	

कंटेनर विवरण:

1.	आगमन मेनिफेस्ट नंबर	स्वतः सृजित
2.	आगमन मेनिफेस्ट तारीख	स्वतः सृजित
3.	कंटेनर नंबर	
4.	कंटेनर सील नंबर	
5.	कंटेनर एजेंट कोड	
6.	कंटेनर की स्थिति	
7.	कंटेनर भार	
8.	ISO कोड	

फॉर्म- VI ख

[देखे विनियम 4 (2) (इ) (ii) ]

यह फॉर्म निम्नलिखित श्रेणी के माल पर लागू होता है, यथा:-

**माल जिसे उतारा जाना है:**

(i) आयातित माल:

(क) माल (अन- एकंपनिड बैगेज समेत) जिसे होम क्लियरेंस के लिए उतारा जाना है;

(ख) माल (अन- एकंपनिड बैगेज समेत) जिसे अन्य भारतीय पोर्ट पर क्लियरेंस के लिए उतारा जाना है (घरेलू ट्रांसशिपमेंट)

(ग) माल जिसे उतारा जाना है लेकिन उसे विदेशी पोर्ट पर भी भेजा जाना है (विदेशी ट्रांसशिपमेंट)

(ii) निर्यात माल

(iii) तटीय माल (जिसमे वे माल भी शामिल है जिनको निर्दिष्ट विदेशी मार्ग से भेजा जाना है)

**(माल जो अभी भी लदा हुआ है):**

(i) आयातित माल:

(क) घरेलू ट्रांसिट कार्गो

(ख) विदेशी ट्रांसिट कार्गो

(ii) निर्यात माल

(iii) तटीय माल (जिसमे वे माल भी शामिल है जिनको निर्दिष्ट विदेशी मार्ग से भेजा जाना है)

**स्पष्टीकरण 1:** घरेलू क्लियरेंस हेतु माल से अभिप्राय ऐसे माल से है जिसको कि घरेलू खपत के लिए या उतराई वाले पोर्ट पर भंडारण के लिए क्लियर किया जाना है।

**स्पष्टीकरण 2:** किसी अन्य भारतीय पत्तन पर क्लियरेंस हेतु माल से अभिप्राय ऐसे माल से है जिसको कि उतराई वाले किसी अन्य भारतीय पत्तन या किसी इनलैंड कंटेनर डिपो पर घरेलू क्लियरेंस के लिए क्लियर किया जाना है।

**स्पष्टीकरण 3:** घरेलू ट्रांसिट माल से अभिप्राय ऐसे माल से है जिसको कि भारतीय पोर्ट, जिसमे **ICD/SEZ** भी आते है, पर भेजा जाना है और इसको उस पोर्ट पर लदे रहना है जहां कि मेनिफेस्ट को भरा जाना है।

**स्पष्टीकरण 3:** घरेलू ट्रांसिट माल से अभिप्राय ऐसे माल से है जिसको कि भारतीय पोर्ट, जिसमे **ICD/SEZ** भी आते है, पर भेजा जाना है और इसको उस पोर्ट पर लदे रहना है जहां कि मेनिफेस्ट को भरा जाना है।

**स्पष्टीकरण 4:** विदेशी ट्रांसिट कार्गो से अभिप्राय ऐसे माल से है जिसको कि विदेशी पोर्ट, पर भेजा जाना है और वहाँ इसे पोर्ट पर लदे रहना है जहां कि मेनिफेस्ट को भरा जाना है।

**नोट:** उतारे जाने वाले कार्गो (अन- एकंपनिड बैगेज समेत) का ब्योरा, जिसकी घोषणा संबन्धित फॉर्मों में की गयी है, अवतरण पोर्टों के अनुसार ही रखी जाएगी।

क्रम संख्या	क्षेत्र का विवरण	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1.	कस्टमस हाउस कोड	
2.	जहाज का IMO कोड	
3.	जहाज कोड (कॉल साइन)	
4.	समुद्री यात्रा संख्या	
5.	आगमन मेनिफेस्ट नंबर	स्वतः सृजित
6.	आगमन मेनिफेस्ट तारीख	स्वतः सृजित
7.	लाइन संख्या	
8.	सब लाइन संख्या	
9.	लास्ट पोर्ट ऑफ कॉल पर दायर प्रस्थान मेनिफेस्ट नंबर	
10.	लास्ट पोर्ट ऑफ कॉल पर दायर प्रस्थान मेनिफेस्ट तारीख	
11.	कार्गो के लिए तत्संबंधी प्रस्थान मेनिफेस्ट में लाइन नंबर	
12.	कार्गो के लिए तत्संबंधी प्रस्थान मेनिफेस्ट में सब- लाइन नंबर	
	आयातित माल	
13.	मास्टर B/L नंबर	
14.	मास्टर B/L तारीख	
15.	हाउस B/L नंबर	
16.	हाउस B/L तारीख	
17.	अवतरण पत्तन	
18.	आखिरी पोर्ट ऑफ कॉल	[जैसा कि हाउस लदान बिल में दिया गया हो, जहां मास्टर लदान बिल और हाउस लदान बिल दोनों उपलब्ध हो]
19.	कंसाइनर का नाम	
20.	कंसाइनर का पता	[जैसा कि हाउस लदान बिल में दिया गया हो, जहां मास्टर लदान बिल और हाउस लदान बिल दोनों उपलब्ध हो]

21.	कंसाइनर का कोड	[जैसा कि हाउस लदान बिल में दिया गया हो, जहां मास्टर लदान बिल और हाउस लदान बिल दोनों उपलब्ध हो]
22.	कंसाइनी का नाम	
23.	कंसाइनी का कोड	[जैसा कि हाउस लदान बिल में दिया गया हो, जहां मास्टर लदान बिल और हाउस लदान बिल दोनों उपलब्ध हो]
24.	कंसाइनी का पता	
25.	किसी अन्य अधिसूचित पार्टी का नाम	
26.	अधिसूचित पार्टी का पैन नंबर	
27.	अधिसूचित पार्टी का पता	
28.	कार्गो का चलन ( घरेलू ट्रांसशिपमेंट, विदेशी ट्रांसशिपमेंट , घरेलू ट्रांसिट, विदेशी ट्रांसिट)	
29.	प्रवेश पोर्ट	प्रवेश पोर्ट से अभिप्राय ऐसे पोर्ट से है जहां कि माल को उतारा जाता हो और उसके बाद उसे ट्रांसशिपमेंट के लिए अन्य किसी वाहन में (जिसमें रेलगाड़ी भी शामिल है) लादा जाना हो
30.	गंतव्य पोर्ट /ICD/ CFS /SEZ	
31.	कार्गो का चलन ( घरेलू ट्रांसशिपमेंट, विदेशी ट्रांसशिपमेंट , घरेलू ट्रांसिट, विदेशी ट्रांसिट)	
32.	परिवहन का साधन (प्रस्थान पोर्ट से गंतव्य पोर्ट के बीच) क्रमवार	

	से	तक		परिवहन का साधन	प्राधिकृत कूरियर कोड	प्राधिकृत कैरियर का बॉन्ड नंबर
	प्रस्थान पोर्ट	---				
	---	गंतव्य पोर्ट				
33.	माल का विवरण	HS कोड	UNO कोड	IMDG कोड		
34.	कंटेनर नंबर					
35.	पिछला कंटेनर नंबर (पत्तन पर LCL कोंसोलीडेसन के मामले में)					
36.	पैकेजों की संख्या					
37.	पैकेजों पर मार्क और नंबर					
38.	पैकेजों का प्रकार					
39.	सकल भार					
40.	निवल भार					
41.	भार की इकाई					
42.	सकल मात्रा					
43.	मात्रा की इकाई					
44.	कन्साईन्मेंट का इन्वाइस मूल्य					
45.	मुद्रा कोड					
46.	शिपिंग लाइन कोड					
47.	शिपिंग लाइन बॉन्ड नंबर					
	<u>निर्यात माल</u>					
48.	निर्यातकर्ता का नाम					
49.	निर्यातकर्ता का कोड (IEC/GSTIN आदि)					
50.	निर्यातकर्ता का पता					
51.	कंसाइनी का नाम					
52.	कंसाइनी का कोड					
53.	कंसाइनी का पता					
54.	मास्टर B/L नंबर					
55.	मास्टर B/L तारीख					
56.	हाउस B/L नंबर					
57.	हाउस B/L तारीख					
58.	माल का विवरण	HS कोड	UNO कोड	IMDG कोड		

59.	माल का प्रकार	
60.	कंटेनर नंबर	
61.	पिछला कंटेनर नंबर (पत्तन पर LCL कोंसोलीडेसन के मामले में)	
62.	पैकेजों की संख्या	
63.	पैकेजों पर मार्क और नंबर	
64.	शिपिंग बिल नंबर	
65.	शिपिंग बिल तारीख	
66.	गेटवे पोर्ट	
67.	गंतव्य पोर्ट	
68.	गंतव्य देश	
	तटीय माल	
69.	लदान बिल नंबर	
70.	लदान बिल तारीख	
71.	कंसाइनर का नाम	
72.	कंसाइनर का कोड (GSTIN/PAN आदि)	
73.	कंसाइनर का पता	
74.	कंसाइनी का नाम	
75.	कंसाइनी का कोड (IEC/GSTIN इत्यादि)	
76.	कंसाइनी का पता	
77.	माल का विवरण	HS कोड
78.	पैकेजों की संख्या	
79.	पैकेजों पर मार्क और नंबर	
80.	सकल भार	
81.	निवल भार	
82.	भार की इकाई	
83.	सकल मात्रा	
84.	मात्रा की इकाई	
85.	कंटेनर नंबर	
86.	कंटेनर सील नंबर	
87.	तटीय माल बिल नंबर	
88.	तटीय माल बिल तारीख	
89.	कन्साईन्मेंट का इन्वाइस मूल्य	
90.	शिपिंग लाइन कोड	

91.	शिपिंग लाइन बॉन्ड नंबर (यदि माल को निर्दिष्ट विदेशी मार्ग से भेजा जा रहा हो)	
-----	--	--

कंटेनर विवरण:

1.	आगमन मेनिफेस्ट नंबर	स्वतः सृजित
2.	आगमन मेनिफेस्ट तारीख	स्वतः सृजित
3.	कंटेनर नंबर	
4.	कंटेनर सील नंबर	
5.	कंटेनर एजेंट कोड	
6.	कंटेनर की स्थिति	
7.	कंटेनर भार	
8.	ISO कोड	

फॉर्म – VII क  
[देखे विनियम 5 (2) (घ) (i) ]

यह फॉर्म निम्नलिखित श्रेणी के माल पर लागू होता है, यथा:-

**पोर्ट पर लादे गए माल:**

- (i) आयातित माल जिसे विदेशी पोर्ट पर भेजा जाना है
- (ii) निर्यात माल

पिछले पोर्ट पर लादा गया माल जो अभी भी लदा हुआ है:

- (i) आयातित माल जिसे विदेशी पोर्ट पर भेजा जाना है
- (ii) निर्यात माल

क्रमसंख्या	क्षेत्र का विवरण	
(1)	(2)	(3)
1.	कस्टमस हाउस कोड	
2.	जहाज का IMO कोड	
3.	जहाज कोड (कॉल साइन)	
4.	समुद्री यात्रा संख्या	
5.	प्रस्थान मेनिफेस्ट नंबर	स्वतः सृजित
6.	प्रस्थान मेनिफेस्ट तारीख	स्वतः सृजित
7.	लाइन संख्या	
8.	सब लाइन संख्या	
	आयातित माल	
9.	आगमन मेनिफेस्ट नंबर जिसके तहत कार्गो पोर्ट पर पहुंचा था	
10.	क्रमसंख्या 9 के समतुल्य आगमन मेनिफेस्ट तारीख	
11.	क्रमसंख्या 9 के समतुल्य लाइन नंबर	
12.	क्रमसंख्या 9 के समतुल्य सब लाइन संख्या	
13.	मास्टर B/L नंबर	
14.	मास्टर B/L तारीख	
15.	हाउस B/L नंबर	
16.	हाउस B/L तारीख	
17.	अवतरण पत्तन	
18.	आखिरी पोर्ट ऑफ कॉल	
19.	कंसाइनर का नाम	
20.	कंसाइनर का पता	
21.	कंसाइनर का कोड	
22.	कंसाइनी का नाम	
23.	कंसाइनी का कोड	
24.	कंसाइनी का पता	
25.	किसी अन्य अधिसूचित पार्टी का नाम	
26.	अधिसूचित पार्टी का पैन नंबर	
27.	अधिसूचित पार्टी का पता	
28.	कार्गो का प्रकार (कंटेनर में बंद/ कंटेनर में बंद ना किया हुआ/ द्रव पदार्थ भारी मात्र में / शुष्क पदार्थ भारी मात्र में, आदि)	

29.	गंतव्य पोर्ट				
30.	माल का विवरण	HS कोड	UNO कोड	IMDG कोड	
31.	कंटेनर नंबर				
32.	पिछला कंटेनर नंबर (पत्तन पर LCL कॉसोलीडेसन के मामले में)				
33.	पैकेजों की संख्या				
34.	पैकेजों पर मार्क और नंबर				
35.	पैकेजों का प्रकार				
36.	सकल भार				
37.	निवल भार				
38.	भार की इकाई				
39.	सकल मात्रा				
40.	मात्रा की इकाई				
41.	कन्साईन्मेंट का इन्वाइस मूल्य				
42.	मुद्रा कोड				
43.	शिपिंग लाइन कोड				
44.	शिपिंग लाइन बॉन्ड नंबर				
	निर्यात माल				
45.	आगमन मेनिफेस्ट नंबर जिसके तहत कार्गो पोर्ट पर पहुंचा था				
46.	क्रमसंख्या 45 के समतुल्य आगमन मेनिफेस्ट तारीख				
47.	क्रमसंख्या 45 के समतुल्य लाइन नंबर				
48.	क्रमसंख्या 45 के समतुल्य सब लाइन संख्या				
49.	निर्यातक का नाम				
50.	निर्यातक का कोड (IEC/GSTIN इत्यादि)				
51.	निर्यातक का पता				
52.	कंसाइनी का नाम				
53.	कंसाइनी का कोड				
54.	कंसाइनी का पता				
55.	मास्टर B/L नंबर				
56.	मास्टर B/L तारीख				
57.	हाउस B/L नंबर				
58.	हाउस B/L तारीख				
59.	माल का विवरण	माल का	माल का विवरण	माल का विवरण	

	विवरण	
60.	कार्गो का प्रकार (कंटेनर में बंद/ कंटेनर में बंद ना किया हुआ/ द्रव पदार्थ भारी मात्र में / शुष्क पदार्थ भारी मात्र में, आदि)	
61.	कंटेनर नंबर	
62.	पिछला कंटेनर नंबर (पत्तन पर LCL कोंसोलीडेसन के मामले में)	
63.	पैकेजों की संख्या	
66.	पैकेजों पर मार्क और नंबर	
67.	शिपिंग बिल नंबर	
68.	शिपिंग बिल तारीख	
69.	गेटवे पोर्ट	
70.	गंतव्य पोर्ट	
71.	गंतव्य देश	
72.	शिपिंग लाइन कोड	

कंटेनर विवरण:

1.	प्रस्थान मेनिफेस्ट नंबर	स्वतः सृजित
2.	प्रस्थान मेनिफेस्ट तारीख	स्वतः सृजित
3.	कंटेनर नंबर	
4.	कंटेनर सील नंबर	
5.	कंटेनर एजेंट कोड	
6.	कंटेनर की स्थिति	
7.	कंटेनर भार	
8.	ISO कोड	
9.	आगमन मेनिफेस्ट नंबर जिसके तहत कंटेनर भारत में पहुंचा	
10.	क्रम संख्या 9 के समतुल्य आगमन मेनिफेस्ट तारीख	

फॉर्म- VII ख

[देखे विनियम 5 (2) (घ) (ii) ]

यह फॉर्म निम्नलिखित श्रेणी के माल पर लागू होता है, यथा:-

पोर्ट पर लादे गए माल

(i) आयातित माल

(क) घरेलू ट्रांसशिपमेंट माल;

(ख) विदेशी ट्रांसशिपमेंट माल;

(ii) निर्यात माल;

(iii) तटीय माल (इसमें वे माल भी आते हैं जो निर्दिष्ट विदेशी मार्ग से भेजे जा रहे हों)

स्पष्टीकरण I: घरेलू ट्रांसशिपमेंट माल से अभिप्राय ऐसे आयातित माल से है जो भारतीय पत्तन को भेजा जाना है और जिसे ट्रांसशिपमेंट के लिए जहाज पर लादा गया हो।

स्पष्टीकरण II: विदेशी ट्रांसशिपमेंट माल से अभिप्राय ऐसे आयातित माल से है जो विदेशी पत्तन को भेजा जाना है और जिसे ट्रांसशिपमेंट के लिए जहाज पर लादा गया हो।

पिछले पोर्ट पर लादा गया माल और जो कि अभी लदा हुआ है

(i) आयातित माल

(क) घरेलू ट्रांसशिपमेंट माल;

(ख) विदेशी ट्रांसशिपमेंट माल;

(ii) निर्यात माल;

(iii) तटीय माल (इसमें वे माल भी आते हैं जो निर्दिष्ट विदेशी मार्ग से भेजे जा रहे हों)

क्रमसंख्या	क्षेत्र का विवरण	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1.	कस्टमस हाउस कोड	
2.	जहाज का IMO कोड	
3.	जहाज कोड (कॉल साइन)	
4.	समुद्री यात्रा संख्या	
5.	प्रस्थान मेनिफेस्ट नंबर	स्वतः सृजित
6.	प्रस्थान मेनिफेस्ट तारीख	स्वतः सृजित
7.	लाइन संख्या	
8.	सब लाइन संख्या	
	<u>आयातित माल</u>	
9.	आगमन मेनिफेस्ट नंबर जिसके तहत कार्गो पोर्ट पर पहुंचा था	
10.	क्रमसंख्या 9 के समतुल्य आगमन मेनिफेस्ट तारीख	
11.	क्रमसंख्या 9 के समतुल्य लाइन नंबर	
12.	क्रमसंख्या 9 के समतुल्य सब लाइन संख्या	
13.	मास्टर B/L नंबर	
14.	मास्टर B/L तारीख	
15.	हाउस B/L नंबर	
16.	हाउस B/L तारीख	
17.	अवतरण पत्तन	
19.	कंसाइनर का नाम	
20.	कंसाइनर का कोड	
21.	कंसाइनर का पता	
22.	कंसाइनी का नाम	
23.	कंसाइनी का कोड (IEC/GSTIN इत्यादि)	
24.	कंसाइनी का पता	
25.	किसी अन्य अधिसूचित पार्टी का नाम	
26.	अधिसूचित पार्टी का पैन नंबर	
27.	अधिसूचित पार्टी का पता	
28.	कार्गो का प्रकार (कंटेनर में बंद/कंटेनर में बंद ना किया हुआ/द्रव पदार्थ भारी मात्र में / शुष्क पदार्थ भारी मात्र में, आदि)	
29.	मद का प्रकार (सरकारी कार्गो, अन-एकंपनिड बैगेज और अन्य कार्गो)	

30.	कार्गो का चलन ( घरेलू ट्रांसशिपमेंट, विदेशी ट्रांसशिपमेंट , घरेलू ट्रांसिट, विदेशी ट्रांसिट)					
31.	प्रवेश पोर्ट					प्रवेश पोर्ट से अभिप्राय ऐसे पोर्ट से है जहां कि माल को उतारा जाता हो और उसके बाद उसे ट्रांसशिपमेंट के लिए अन्य किसी वाहन में (जिसमे रेलगाड़ी भी शामिल है) लादा जाना हो
32.	गंतव्य पोर्ट /ICD/ CFS /SEZ					
33.	परिवहन का साधन (प्रवेश पत्तन से गंतव्य पत्तन के बीच) क्रमवार					
	से	तक	परिवहन का साधन	प्राधिकृत क्रियर कोड	प्राधिकृत कैरियर का बॉन्ड नंबर	
	प्रवेश पत्तन	---				
	---	गंतव्य पत्तन				
34.	माल का विवरण	HS कोड	UNO कोड	IMDG कोड		
35.	कंटेनर नंबर					
36.	पिछला कंटेनर नंबर (पत्तन पर LCL कोंसोलीडेसन के मामले में)					
37.	पैकेजों की संख्या					
38.	पैकेजों पर मार्क और नंबर					
39.	पैकेजों का प्रकार					
40.	सकल भार					
41.	निवल भार					
42.	भार की इकाई					
43.	सकल मात्रा					
44.	मात्रा की इकाई					

45.	कन्साईन्मेंट का इन्वाइस मूल्य				
46.	मुद्रा कोड				
47.	शिपिंग लाइन कोड				
48.	शिपिंग लाइन बॉन्ड नंबर				
	<u>निर्यात माल</u>				
49.	आगमन मेनिफेस्ट नंबर जिसके तहत कार्गो पोर्ट पर पहुंचा था				
50.	क्रमसंख्या 49 के समतुल्य आगमन मेनिफेस्ट तारीख				
51.	क्रमसंख्या 49 के समतुल्य लाइन नंबर				
52.	क्रमसंख्या 49 के समतुल्य सब लाइन संख्या				
53.	निर्यातक का नाम				
54.	निर्यातक का कोड (IEC/GSTIN इत्यादि)				
55.	निर्यातक का पता				
56.	कंसाइनी का नाम				
57.	कंसाइनी का कोड				
58.	कंसाइनी का पता				
59.	मास्टर B/L नंबर				
60.	मास्टर B/L तारीख				
61.	हाउस B/L नंबर				
62.	हाउस B/L तारीख				
63.	माल का विवरण	HS कोड	UNO कोड	IMDG कोड	
64.	माल का प्रकार				
65.	कंटेनर नंबर				
66.	पिछला कंटेनर नंबर (पत्तन पर LCL कॉंसोलीडेसन के मामले में)				
67.	पैकेजों की संख्या				
68.	पैकेजों पर मार्क और नंबर				
69.	शिपिंग बिल नंबर				
70.	शिपिंग बिल तारीख				
71.	गेटवे पोर्ट				
72.	गंतव्य पोर्ट				
73.	गंतव्य देश				
	<u>तटीय माल</u>				

74.	आगमन मेनिफेस्ट नंबर जिसके तहत कार्गो पोर्ट पर पहुंचा था		
75.	क्रमसंख्या 74 के समतुल्य आगमन मेनिफेस्ट तारीख		
76.	क्रमसंख्या 74 के समतुल्य लाइन नंबर		
77.	क्रमसंख्या 74 के समतुल्य सब लाइन संख्या		
78.	लदान बिल नंबर		
79.	लदान बिल तारीख		
80.	कंसाइनर का नाम		
81.	कंसाइनर का कोड (GSTIN/PAN आदि)		
82.	कंसाइनर का पता		
83.	कंसाइनी का नाम		
84.	कंसाइनी का कोड (IEC/GSTIN इत्यादि)		
85.	कंसाइनी का पता		
86.	माल का विवरण	HS कोड	
87.	पैकेजों की संख्या		
88.	पैकेजों पर मार्क और नंबर		
89.	सकल भार		
90.	निवल भार		
91.	भार की इकाई		
92.	सकल मात्रा		
93.	मात्रा की इकाई		
94.	कंटेनर नंबर		
95.	कंटेनर सील नंबर		
96.	तटीय माल बिल नंबर		
97.	तटीय माल बिल तारीख		
98.	कन्साईन्मेंट का इन्वाइस मूल्य		
99.	शिपिंग लाइन कोड		
100.	शिपिंग लाइन बॉन्ड नंबर (यदि माल को निर्दिष्ट विदेशी मार्ग से भेजा जा रहा हो)		



II. ICD/CFS/ SEZ से पोर्ट/ ICD तक निर्यात माल का ट्रांशिपमेंट:

(क) प्रस्थान मेनिफेस्ट जिसे ICD/CFS/ SEZ पर भरा जाना है::

प्राधिकृत कैरियर कोड:				प्राधिकृत कैरियर का बॉन्ड नंबर		
ICD/CFS/SEZ:				प्रस्थान मेनिफेस्ट नंबर और तारीख: स्वतः सृजित		
क्रम संख्या	कंटेनर नंबर और कस्टम्स सील नंबर.	गंतव्य स्थान	ICD/CFS/SEZ से प्रस्थान का समय और तारीख	ट्रेन नंबर/ ट्रक नंबर	शिपिंग बिल नंबर और तारीख	इसके पहले के कंटेनर का नंबर (पोर्ट/ ICD पर LCL के विलगन या संगलगन की स्थिति में)

(ख) आगमन मेनिफेस्ट जिसे पोर्ट/ ICD पर भरा जाना है:

प्राधिकृत कैरियर कोड:				प्राधिकृत कैरियर का बॉन्ड नंबर		
कस्टम्स स्टेशन:				आगमन मेनिफेस्ट नंबर और तारीख: स्वतः सृजित		
क्रम संख्या	कंटेनर नंबर और कस्टम्स सील नंबर	गंतव्य स्थान	पोर्ट/ ICD पर आगमन का समय	ट्रेन नंबर/ ट्रक नंबर	शिपिंग बिल नंबर और तारीख	इसके पहले के कंटेनर का नंबर (पोर्ट/ ICD पर LCL के विलगन या संगलगन की स्थिति में)

फॉर्म- IX क  
[देखे विनियम 9 (1) (ग) ]  
(ट्रांशिपमेंट के लिए बंधपत्र)

सर्व साधारण के सूचनार्थ हम ..... अपने ..... (एतदस्मिन् पश्चात जिसे “प्राधिकृत कैरियर” कहा गया है और जिस अभिव्यक्ति में उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रबन्धक और विधिक प्रतिनिधि आते हैं ) भारत के राष्ट्रपति (एतदस्मिन् पश्चात जिसे “सरकार” से संदर्भित किया गया है और जिस अभिव्यक्ति में उसके प्रवर्ती और उत्तराधिकारी भी आते हैं ) के प्रति ..... रुपये के भुगतान के लिए वचन बद्ध होते हैं और जिसके लिए एतद द्वारा हम अपने सबको या अपने में से कुछ को और अपने उत्तराधिकारी, निष्पादक और प्रबन्धक को इस बात के लिए वचन बद्ध करते हैं।

जहां कि उक्त प्राधिकृत कैरियर ने .....पोर्ट/ ICD/CFS/ SEZ पर प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क जैसी भी स्थिति हो, को ऐसे माल के ट्रांशिपमेंट जिनका पूरा विवरण आगमन/ प्रस्थान मेनिफेस्ट में दिया गया है और स्पष्ट किया गया है के \_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_ तक ट्रांसशिपमेंट के लिए अनुमति हेतु आवेदन करता है।

और जहां कि उक्त प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो ने उक्त तटीय माल को \_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_ तक \_\_\_\_\_ से होकर ले जाने के लिए इस शर्त पर अनुमति दे सकता है उक्त प्राधिकृत कैरियर निम्नलिखित शर्तों के साथ उक्त बंधपत्र को भरने के लिए सहमत हो।

अतः अब उपर्युक्त लिखित बंधपत्र कि शर्त यह है कि, यदि उक्त प्राधिकृत कैरियर उक्त माल जो कि आगमन/ प्रस्थान मेनिफेस्ट में उल्लिखित हो के \_\_\_\_\_पोर्ट/ ICD/CFS/ SEZ को पूर्णतयः तथा सुरक्षित ट्रांशिपमेंट कराएगा और यथोचित अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा और उपर्युक्त बंधपत्र की तारीख से एक माह के भीतर विधिवत हस्तगित करेगा और उक्त अधिकारी के संतुष्टि तक उसको उस माल के बारे में बताएगा और यथोचित सीमाशुल्क अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो वह आगमन मेनिफेस्ट फॉर्म-VIII प्रस्तुत करेगा जो कि पोर्ट/ ICD/CFS/ SEZ में भरा गया हो और जिसमे यह स्पष्ट किया गया हो कि उक्त माल को विधिवत रूप से प्राप्त कर लिया गया था और इसको गंतव्य पोर्ट/ ICD/CFS/ SEZ में दर्ज करा दिया गया था।

और भी कि यदि उक्त प्राधिकृत कैरियर, समय समय पर या इसके बाद हर समय सरकार के यथोचित अधिकारी जो कि इस निमित्त विधिवत प्राधिकृत किया गया हो, की मांग पर उक्त सरकार को वह पूरा का पूरा सीमाशुल्क अदा करेगा जो कि उस माल पर या उसके बारे में देय हो जिसके लिए यथा उपरोक्त ट्रांशिपमेंट के लिए अनुमति दी गयी हो या उक्त माल का मूल्य अदा करेगा, जैसी स्थिति हो, और तब उपर्युक्त लिखित बंधपत्र शून्य मान लिया जाएगा और इसका कोई प्रभाव नहीं होगा अन्यथा यह पूरी तरह लागू रहेगा और प्रभाव में रहेगा।

एतद द्वारा इस बार पर सहमत व्यक्त की जाती है कि मुझ पर/ हम पर इस बंधपत्र के अंतर्गत जितनी राशि देय होगी उसको सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142 की उपधारा (1) के अंतर्गत निर्धारित तरीके से वसूला जा सकता है।

उपर्युक्त सूची निम्न को संदर्भित

प्राधिकृत कैरियर का हस्ताक्षर

साक्षियों की उपस्थिति में

प्राधिकृत कैरियर का हस्ताक्षर

फॉर्म- IX ख  
[देखे विनियम 9 (1) (ग) ]  
(ट्रांशिपमेंट के लिए निरंतरता बंधपत्र)

सर्व साधारण के सूचनार्थ हम ..... अपने ..... (एतदस्मिन् पश्चात जिसे “प्राधिकृत कैरियर” कहा गया है और जिस अभिव्यक्ति में उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रबन्धक और विधिक प्रतिनिधि आते हैं ) भारत के राष्ट्रपति (एतदस्मिन् पश्चात जिसे “सरकार” से संदर्भित किया गया है और जिस अभिव्यक्ति में उसके प्रवर्ती और उत्तराधिकारी भी आते हैं ) के प्रति ..... रुपये के भुगतान के लिए वचन बद्ध होते हैं और जिसके लिए एतद द्वारा हम अपने सबको या अपने में से कुछ को और अपने उत्तराधिकारी, निष्पादक और प्रबन्धक को इस बात के लिए वचन बद्ध करते हैं।

जहां कि उक्त प्राधिकृत कैरियर ने .....पोर्ट/ ICD/CFS/ SEZ पर प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क जैसी भी स्थिति हो, को ऐसे माल के ट्रांशिपमेंट जिनका पूरा विवरण आगमन/ प्रस्थान मेनिफेस्ट में दिया गया है और स्पष्ट किया गया है के \_\_\_\_\_से \_\_\_\_\_ तक ट्रांसशिपमेंट के लिए अनुमति हेतु आवेदन करता है।

और जहां कि उक्त प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो ने उक्त तटीय माल को \_\_\_\_\_से \_\_\_\_\_ तक \_\_\_\_\_से होकर ले जाने के लिए इस शर्त पर अनुमति दे सकता है उक्त प्राधिकृत कैरियर निम्नलिखित शर्तों के साथ उक्त बंधपत्र को भरने के लिए सहमत हो।

अतः अब उपर्युक्त लिखित बंधपत्र कि शर्त यह है कि, यदि उक्त प्राधिकृत कैरियर उक्त माल जो कि आगमन/ प्रस्थान मेनिफेस्ट में उल्लिखित हो के \_\_\_\_\_पोर्ट/ ICD/CFS/ SEZ को पूर्णतयः तथा सुरक्षित ट्रांशिपमेंट कराएगा और यथोचित अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा और उपर्युक्त बंधपत्र की तारीख से एक माह के भीतर विधिवत हस्तगित

करेगा और उक्त अधिकारी के संतुष्टि तक उसको उस माल के बारे में बताएगा और यथोचित सीमाशुल्क अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो वह आगमन मेनिफेस्ट फॉर्म-VIII प्रस्तुत करेगा जो कि पोर्ट/ ICD/CFS/ SEZ में भरा गया हो और जिसमें यह स्पष्ट किया गया हो कि उक्त माल को विधिवत रूप से प्राप्त कर लिया गया था और इसको गंतव्य पोर्ट/ ICD/CFS/ SEZ में दर्ज करा दिया गया था।

और भी कि यदि उक्त प्राधिकृत कैरियर, समय समय पर या इसके बाद हर समय सरकार के यथोचित अधिकारी जो कि इस निमित्त विधिवत प्राधिकृत किया गया हो, की मांग पर उक्त सरकार को वह पूरा का पूरा सीमाशुल्क अदा करेगा जो कि उस माल पर या उसके बारे में देय हो जिसके लिए यथा उपरोक्त ट्रांशिपमेंट के लिए अनुमति दी गयी हो या उक्त माल का मूल्य अदा करेगा, जैसी स्थिति हो, और तब उपर्युक्त लिखित बंधपत्र शून्य मान लिया जाएगा और इसका कोई प्रभाव नहीं होगा अन्यथा यह पूरी तरह लागू रहेगा और प्रभाव में रहेगा।

एतद द्वारा इस बार पर सहमत व्यक्त की जाती है कि मुझ पर/ हम पर इस बंधपत्र के अंतर्गत जितनी राशि देय होगी उसको सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142 की उपधारा (1) के अंतर्गत निर्धारित तरीके से वसूला जा सकता है।

उपर्युक्त सूची निम्न को संदर्भित

प्राधिकृत कैरियर का हस्ताक्षर

साक्षियों की उपस्थिति में

प्राधिकृत कैरियर का हस्ताक्षर

फॉर्म- IX ग  
[देखे विनियम 9 (1) (ग) ]  
(ट्रांशिपमेंट के लिए स्यूरिटी बंधपत्र)

सर्व साधारण के सूचनार्थ हम ..... का ..... (एतदस्मिन पश्चात जिसे "प्राधिकृत कैरियर" कहा गया है और जिस अभिव्यक्ति में उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रबन्धक और विधिक प्रतिनिधि आते हैं ) और.....के हम ..... (एतदस्मिन पश्चात जिसे "स्यूरिटी" से संदर्भित किया गया है और जिस अभिव्यक्ति में उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रबन्धक और विधिक प्रतिनिधि भी आते है ) भारत के राष्ट्रपति (एतदस्मिन पश्चात जिसे "सरकार" से संदर्भित किया गया है और जिस अभिव्यक्ति में उसके प्रवर्ती और उत्तराधिकारी भी आते है ) के प्रति संयुक्त रूप से और अलग अलग उस विधि पूर्ण धन की ..... रुपये की राशि (रुपये ..... ) के लिए अपने को बाध्य करते हैं जिसके भुगतान के लिए हम, प्राधिकृत कैरियर और स्यूरिटी संयुक्त रूप से और अलग अलग अपने को बाध्य करते हैं

जहां कि उक्त प्राधिकृत कैरियर ने .....पोर्ट पर प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क जैसी भी स्थिति हो, के यहाँ \_\_\_\_\_से \_\_\_\_\_ तक \_\_\_\_\_से होकर तटीय माल को ले जाने के लिए, जो कि प्रस्थान मेनिफेस्ट में पूर्णतय वर्णित और स्पष्ट है, के लिए आवेदन करता है।

और जहां कि उक्त प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो ने उक्त तटीय माल को \_\_\_\_\_से \_\_\_\_\_ तक \_\_\_\_\_से होकर ले जाने के लिए इस शर्त पर अनुमति दे सकता है उक्त प्राधिकृत कैरियर निम्नलिखित शर्तों के साथ उक्त बंधपत्र को भरने के लिए सहमत हो।

अतः अब उपर्युक्त लिखित बंधपत्र कि शर्त यह है कि, यदि उक्त प्राधिकृत कैरियर उक्त माल जो कि आगमन/ प्रस्थान मेनिफेस्ट में उल्लिखित हो के \_\_\_\_\_पोर्ट/ ICD/CFS/ SEZ को पूर्णतयः तथा सुरक्षित ट्रांशिपमेंट कराएगा और यथोचित अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा और उपर्युक्त बंधपत्र की तारीख से एक माह के भीतर विधिवत हस्तगित करेगा और उक्त अधिकारी के संतुष्टि तक उसको उस माल के बारे में बताएगा और यथोचित सीमाशुल्क अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो वह आगमन मेनिफेस्ट फॉर्म-VIII प्रस्तुत करेगा जो कि पोर्ट/ ICD/CFS/ SEZ में भरा गया हो और

जिसमें यह स्पष्ट किया गया हो कि उक्त माल को विधिवत रूप से प्राप्त कर लिया गया था और इसको गंतव्य पोर्ट/ ICD/CFS/ SEZ में दर्ज करा दिया गया था।

और भी कि यदि उक्त प्राधिकृत कैरियर, समय समय पर या इसके बाद हर समय सरकार के यथोचित अधिकारी जो कि इस निमित्त विधिवत प्राधिकृत किया गया हो, की मांग पर उक्त सरकार को वह पूरा का पूरा सीमाशुल्क अदा करेगा जो कि उस माल पर या उसके बारे में देय हो जिसके लिए यथा उपरोक्त ट्रांशिपमेंट के लिए अनुमति दी गयी हो या उक्त माल का मूल्य अदा करेगा, जैसी स्थिति हो, और तब उपर्युक्त लिखित बंधपत्र शून्य मान लिया जाएगा और इसका कोई प्रभाव नहीं होगा अन्यथा यह पूरी तरह लागू रहेगा और प्रभाव में रहेगा।

एतद द्वारा इस बार पर सहमत व्यक्त की जाती है कि मुझ पर/ हम पर इस बंधपत्र के अंतर्गत जितनी राशि देय होगी उसको सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142 की उपधारा (1) के अंतर्गत निर्धारित तरीके से वसूला जा सकता है।

और एतद द्वारा यह घोषणा की जाती है कि उक्त भारत के राष्ट्रपति या किसी प्रधान आयुक्त या आयुक्त या किसी अन्य अधिकारी की ओर से उपर्युक्त लिखित बंधपत्र के अंतर्गत उक्त स्यूरिटी और उसके उत्तराधिकारी या उसके प्रतिनिधि को उसकी या उनकी देयता के बारे में कोई भी रियायत नहीं जारी की जाएगी।

उपर्युक्त सूची निम्न को संदर्भित

प्राधिकृत कैरियर का हस्ताक्षर

साक्षियों की उपस्थिति में

प्राधिकृत कैरियर का हस्ताक्षर

स्यूरिटी का हस्ताक्षर

साक्षियों की उपस्थिति में

स्यूरिटी का हस्ताक्षर

फॉर्म- IX घ

[देखे विनियम 9 (1) (ग) ]

(ट्रांशिपमेंट के लिए निरंतरता स्यूरिटी बंधपत्र)

सर्व साधारण के सूचनार्थ हम ..... का ..... (एतदस्मिन पश्चात जिसे "प्राधिकृत कैरियर" कहा गया है और जिस अभिव्यक्ति में उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रबन्धक और विधिक प्रतिनिधि आते हैं ) और.....के हम ..... (एतदस्मिन पश्चात जिसे "स्यूरिटी" से संदर्भित किया गया है और जिस अभिव्यक्ति में उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रबन्धक और विधिक प्रतिनिधि भी आते हैं ) भारत के राष्ट्रपति (एतदस्मिन पश्चात जिसे "सरकार" से संदर्भित किया गया है और जिस अभिव्यक्ति में उसके प्रवर्ती और उत्तराधिकारी भी आते हैं ) के प्रति संयुक्त रूप से और अलग अलग उस विधि पूर्ण धन की ..... रुपये की राशि (रुपये ..... ) के लिए अपने को बाध्य करते हैं जिसके भुगतान के लिए हम, प्राधिकृत कैरियर और स्यूरिटी संयुक्त रूप से और अलग अलग अपने को बाध्य करते हैं।

जहां कि उक्त प्राधिकृत कैरियर ने .....पोर्ट पर प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क जैसी भी स्थिति हो, के यहाँ \_\_\_\_\_से \_\_\_\_\_ तक \_\_\_\_\_से होकर तटीय माल को ले जाने के लिए, जो कि प्रस्थान मेनिफेस्ट में पूर्णतय वर्णित और स्पष्ट है, के लिए आवेदन करता है।

और जहां कि उक्त प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो ने उक्त तटीय माल को \_\_\_\_\_से \_\_\_\_\_ तक \_\_\_\_\_से होकर ले जाने के लिए इस शर्त पर अनुमति दे सकता है उक्त प्राधिकृत कैरियर निम्नलिखित शर्तों के साथ उक्त बंधपत्र को भरने के लिए सहमत हो।

अतः अब उपर्युक्त लिखित बंधपत्र कि शर्त यह है कि, यदि उक्त प्राधिकृत कैरियर उक्त माल जो कि आगमन/ प्रस्थान मेनिफेस्ट में उल्लिखित हो के \_\_\_\_\_पोर्ट/ ICD/CFS/ SEZ को पूर्णतय: तथा सुरक्षित ट्रांशिपमेंट कराएगा और यथोचित अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा और उपर्युक्त बंधपत्र की तारीख से एक माह के भीतर विधिवत हस्तगित करेगा और उक्त अधिकारी के संतुष्टि तक उसको उस माल के बारे में बताएगा और यथोचित सीमाशुल्क अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो वह आगमन मेनिफेस्ट फॉर्म-VIII प्रस्तुत करेगा जो कि पोर्ट/ ICD/CFS/ SEZ में भरा गया हो और

जिसमें यह स्पष्ट किया गया हो कि उक्त माल को विधिवत रूप से प्राप्त कर लिया गया था और इसको गंतव्य पोर्ट/ ICD/CFS/ SEZ में दर्ज करा दिया गया था।

और भी कि यदि उक्त प्राधिकृत कैरियर, समय समय पर या इसके बाद हर समय सरकार के यथोचित अधिकारी जो कि इस निमित्त विधिवत प्राधिकृत किया गया हो, की मांग पर उक्त सरकार को वह पूरा का पूरा सीमाशुल्क अदा करेगा जो कि उस माल पर या उसके बारे में देय हो जिसके लिए यथा उपरोक्त ट्रांशिपमेंट के लिए अनुमति दी गयी हो या उक्त माल का मूल्य अदा करेगा, जैसी स्थिति हो, और तब उपर्युक्त लिखित बंधपत्र शून्य मान लिया जाएगा और इसका कोई प्रभाव नहीं होगा अन्यथा यह पूरी तरह लागू रहेगा और प्रभाव में रहेगा।

एतद द्वारा इस बार पर सहमत व्यक्त की जाती है कि मुझ पर/ हम पर इस बंधपत्र के अंतर्गत जितनी राशि देय होगी उसको सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142 की उपधारा (1) के अंतर्गत निर्धारित तरीके से वसूला जा सकता है।

और एतद द्वारा यह घोषणा की जाती है कि उक्त भारत के राष्ट्रपति या किसी प्रधान आयुक्त या आयुक्त या किसी अन्य अधिकारी की ओर से उपर्युक्त लिखित बंधपत्र के अंतर्गत उक्त स्यूरिटी और उसके उत्तराधिकारी या उसके प्रतिनिधि को उसकी या उनकी देयता के बारे में कोई भी रियायत नहीं जारी की जाएगी।

उपर्युक्त सूची निम्न को संदर्भित

प्राधिकृत कैरियर का हस्ताक्षर

साक्षियों की उपस्थिति में

प्राधिकृत कैरियर का हस्ताक्षर

स्यूरिटी का हस्ताक्षर

साक्षियों की उपस्थिति में

स्यूरिटी का हस्ताक्षर

फॉर्म- X क

[देखे विनियम 9 (2)]

(विदेशी भू क्षेत्र से होकर किए जाने वाले परिवहन से संबन्धित बंधपत्र)

सर्व साधारण के सूचनार्थ हम ..... अपने ..... (एतदस्मिन् पश्चात् जिसे "प्राधिकृत कैरियर" कहा गया है और जिस अभिव्यक्ति में उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रबन्धक और विधिक प्रतिनिधि आते हैं ) भारत के राष्ट्रपति (एतदस्मिन् पश्चात् जिसे "सरकार" से संदर्भित किया गया है और जिस अभिव्यक्ति में उसके प्रवर्ती और उत्तराधिकारी भी आते हैं ) के प्रति ..... रुपये के भुगतान के लिए वचन बद्ध होते हैं और जिसके लिए एतद द्वारा हम अपने सबको या अपने में से कुछ को और अपने उत्तराधिकारी, निष्पादक और प्रबन्धक को इस बात के लिए वचन बद्ध करते हैं।

जहां कि उक्त प्राधिकृत कैरियर ने .....पोर्ट पर प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क जैसी भी स्थिति हो, के यहाँ \_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_ तक \_\_\_\_\_ से होकर तटीय माल को ले जाने के लिए, जो कि प्रस्थान मेनिफेस्ट में पूर्णतय वर्णित और स्पष्ट है, के लिए आवेदन करता है।

और जहां कि उक्त प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो ने उक्त तटीय माल को \_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_ तक \_\_\_\_\_ से होकर ले जाने के लिए इस शर्त पर अनुमति दे सकता है उक्त प्राधिकृत कैरियर निम्नलिखित शर्तों के साथ उक्त बंधपत्र को भरने के लिए सहमत हो।

अतः अब उपर्युक्त लिखित बंधपत्र कि शर्त यह है कि, यदि

(क) भेजे जाने के बाद गंतव्य पोर्ट पर वापस लाया गया कंटेनर उक्त प्रस्थान मेनिफेस्ट में दिये गए विवरण से भिन्न है या

(ख) उसकी वस्तुओं का विवरण उक्त प्रस्थान मेनिफेस्ट में गलत दिया गया है; या

(ग) उक्त प्रस्थान मेनिफेस्ट में वर्णित माल प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो के संतोषजनक नहीं है या यदि उक्त माल या उसका कुछ भाग सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) या इससे भिन्न किसी अधिनियम या अन्य किसी प्रकार से निर्यात शुल्क या किसी प्रतिबंध के अधीन है, किसी विदेशी भू क्षेत्र से ले जाते वक़्त खो गया है

मैं/ हम भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मांग किए जाने पर उक्त माल के मूल्य कि राशि का भुगतान करने के लिए सहमत हूँ और दंड की ऐसी राशि जो कि यथोचित अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाए या सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत मुझ पर/ हम पर लगाई जाएगी, का भी भुगतान करने के लिए सहमत हूँ/ हैं।

एतद द्वारा इस बार पर सहमत व्यक्त की जाती है कि मुझ पर/ हम पर इस बंधपत्र के अंतर्गत जितनी राशि देय होगी उसको सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142 की उपधारा (1) के अंतर्गत निर्धारित तरीके से वसूला जा सकता है।

उपर्युक्त सूची निम्न को संदर्भित

प्राधिकृत कैरियर का हस्ताक्षर

साक्षियों की उपस्थिति में

प्राधिकृत कैरियर का हस्ताक्षर

फॉर्म- X ख

[देखे विनियम 9 (2)]

(विदेशी भू क्षेत्र से होकर किए जाने वाले परिवहन से संबन्धित निरंतरता बंधपत्र)

सर्व साधारण के सूचनार्थ हम ..... अपने ..... (एतदस्मिन् पश्चात् जिसे "प्राधिकृत कैरियर" कहा गया है और जिस अभिव्यक्ति में उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रबन्धक और विधिक प्रतिनिधि आते हैं ) भारत के राष्ट्रपति (एतदस्मिन् पश्चात् जिसे "सरकार" से संदर्भित किया गया है और जिस अभिव्यक्ति में उसके प्रवर्ती और उत्तराधिकारी भी आते हैं ) के प्रति ..... रुपये के भुगतान के लिए वचन बद्ध होते हैं और जिसके लिए एतद द्वारा हम अपने सबको या अपने में से कुछ को और अपने उत्तराधिकारी, निष्पादक और प्रबन्धक को इस बात के लिए वचन बद्ध करते हैं।

जहां कि उक्त प्राधिकृत कैरियर ने .....पोर्ट पर प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क जैसी भी स्थिति हो, के यहाँ \_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_ तक \_\_\_\_\_ से होकर तटीय माल को ले जाने के लिए, जो कि प्रस्थान मेनिफेस्ट में पूर्णतय वर्णित और स्पष्ट है, के लिए आवेदन करता है।

और जहां कि उक्त प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो ने उक्त तटीय माल को \_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_ तक \_\_\_\_\_ से होकर ले जाने के लिए इस शर्त पर अनुमति दे सकता है उक्त प्राधिकृत कैरियर निम्नलिखित शर्तों के साथ उक्त बंधपत्र को भरने के लिए सहमत हो।

अतः अब उपर्युक्त लिखित बंधपत्र कि शर्त यह है कि, यदि

(क) भेजे जाने के बाद गंतव्य पोर्ट पर वापस लाया गया कंटेनर उक्त प्रस्थान मेनिफेस्ट में दिये गए विवरण से भिन्न है या

(ख) उसकी वस्तुओं का विवरण उक्त प्रस्थान मेनिफेस्ट में गलत दिया गया है; या

(ग) उक्त प्रस्थान मेनिफेस्ट में वर्णित माल प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो के संतोषजनक नहीं है या यदि उक्त माल या उसका कुछ भाग सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) या इससे भिन्न किसी अधिनियम या अन्य किसी प्रकार से निर्यात शुल्क या किसी प्रतिबंध के अधीन है, किसी विदेशी भू क्षेत्र से ले जाते वक़्त खो गया है

मैं/ हम भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मांग किए जाने पर उक्त माल के मूल्य कि राशि का भुगतान करने के लिए सहमत हूँ और दंड की ऐसी राशि जो कि यथोचित अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाए या सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत मुझ पर/ हम पर लगाई जाएगी, का भी भुगतान करने के लिए सहमत हूँ/ हैं।

एतद द्वारा इस बार पर सहमत व्यक्त की जाती है कि मुझ पर/ हम पर इस बंधपत्र के अंतर्गत जितनी राशि देय होगी उसको सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142 की उपधारा (1) के अंतर्गत निर्धारित तरीके से वसूला जा सकता है।

उपर्युक्त सूची निम्न को संदर्भित

प्राधिकृत कैरियर का हस्ताक्षर

साक्षियों की उपस्थिति में

प्राधिकृत कैरियर का हस्ताक्षर

फॉर्म - X ग

[देखे विनियम 9 (2)]

(विदेशी भू क्षेत्र से होकर किए जाने वाले परिवहन से संबन्धित स्यूरीटी बंधपत्र)

सर्व साधारण के सूचनार्थ हम ..... का ..... (एतदस्मिन् पश्चात जिसे "प्राधिकृत कैरियर" कहा गया है और जिस अभिव्यक्ति में उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रबन्धक और विधिक प्रतिनिधि आते हैं ) और.....के हम ..... (एतदस्मिन् पश्चात जिसे "स्यूरीटी" से संदर्भित किया गया है और जिस अभिव्यक्ति में उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रबन्धक और विधिक प्रतिनिधि भी आते हैं ) भारत के राष्ट्रपति (एतदस्मिन् पश्चात जिसे "सरकार" से संदर्भित किया गया है और जिस अभिव्यक्ति में उसके प्रवर्ती और उत्तराधिकारी भी आते हैं ) के प्रति संयुक्त रूप से और अलग अलग उस विधि पूर्ण धन की ..... रुपये की राशि (रुपये .....) के लिए अपने को बाध्य करते हैं जिसके भुगतान के लिए हम, प्राधिकृत कैरियर और स्यूरीटी संयुक्त रूप से और अलग अलग अपने को बाध्य करते हैं

जहां कि उक्त प्राधिकृत कैरियर ने .....पोर्ट पर प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क जैसी भी स्थिति हो, के यहाँ \_\_\_\_\_से \_\_\_\_\_ तक \_\_\_\_\_से होकर तटीय माल को ले जाने के लिए, जो कि प्रस्थान मेनिफेस्ट में पूर्णतय वर्णित और स्पष्ट है, के लिए आवेदन करता है।

और जहां कि उक्त प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो ने उक्त तटीय माल को \_\_\_\_\_से \_\_\_\_\_ तक \_\_\_\_\_से होकर ले जाने के लिए इस शर्त पर अनुमति दे सकता है उक्त प्राधिकृत कैरियर निम्नलिखित शर्तों के साथ उक्त बंधपत्र को भरने के लिए सहमत हो।

अतः अब उपर्युक्त लिखित बंधपत्र कि शर्त यह है कि, यदि

(क) भेजे जाने के बाद गंतव्य पोर्ट पर वापस लाया गया कंटेनर उक्त प्रस्थान मेनिफेस्ट में दिये गए विवरण से भिन्न है या

(ख) उसकी वस्तुओं का विवरण उक्त प्रस्थान मेनिफेस्ट में गलत दिया गया है; या

(ग) उक्त प्रस्थान मेनिफेस्ट में वर्णित माल प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो के संतोषजनक नहीं है या यदि उक्त माल या उसका कुछ भाग सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) या इससे भिन्न किसी अधिनियम या अन्य किसी प्रकार से निर्यात शुल्क या किसी प्रतिबंध के अधीन है, किसी विदेशी भू क्षेत्र से ले जाते वक़्त खो गया है

मैं/ हम भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मांग किए जाने पर उक्त माल के मूल्य कि राशि का भुगतान करने के लिए सहमत हूँ और दंड की ऐसी राशि जो कि यथोचित अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाए या सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत मुझ पर/ हम पर लगाई जाएगी, का भी भुगतान करने के लिए सहमत हूँ/ हैं।

एतद द्वारा इस बार पर सहमत व्यक्त की जाती है कि मुझ पर/ हम पर इस बंधपत्र के अंतर्गत जितनी राशि देय होगी उसको सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142 की उपधारा (1) के अंतर्गत निर्धारित तरीके से वसूला जा सकता है। और एतद द्वारा यह घोषणा की जाती है कि उक्त भारत के राष्ट्रपति या किसी प्रधान आयुक्त या आयुक्त या किसी अन्य अधिकारी की ओर से उपर्युक्त लिखित बंधपत्र के अंतर्गत उक्त स्यूरिटी और उसके उत्तराधिकारी या उसके प्रतिनिधि को उसकी या उनकी देयता के बारे में कोई भी रियायत नहीं जारी की जाएगी।

उपर्युक्त सूची निम्न को संदर्भित

प्राधिकृत कैरियर का हस्ताक्षर

साक्षियों की उपस्थिति में

प्राधिकृत कैरियर का हस्ताक्षर

स्यूरिटी का हस्ताक्षर

साक्षियों की उपस्थिति में

स्यूरिटी का हस्ताक्षर

फॉर्म - X घ

[देखे विनियम 9 (2)]

(विदेशी भू क्षेत्र से होकर किए जाने वाले परिवहन से संबन्धित निरंतरता स्यूरीटी- बंधपत्र)

सर्व साधारण के सूचनार्थ हम ..... का ..... (एतदस्मिन् पश्चात जिसे "प्राधिकृत कैरियर" कहा गया है और जिस अभिव्यक्ति में उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रबन्धक और विधिक प्रतिनिधि आते हैं ) और.....के हम ..... (एतदस्मिन् पश्चात जिसे "स्यूरीटी" से संदर्भित किया गया है और जिस अभिव्यक्ति में उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रबन्धक और विधिक प्रतिनिधि भी आते हैं ) भारत के राष्ट्रपति (एतदस्मिन् पश्चात जिसे "सरकार" से संदर्भित किया गया है और जिस अभिव्यक्ति में उसके प्रवर्ती और उत्तराधिकारी भी आते हैं ) के प्रति संयुक्त रूप से और अलग अलग उस विधि पूर्ण धन की ..... रुपये की राशि (रुपये .....) के लिए अपने को बाध्य करते हैं जिसके भुगतान के लिए हम, प्राधिकृत कैरियर और स्यूरीटी संयुक्त रूप से और अलग अलग अपने को बाध्य करते हैं

जहां कि उक्त प्राधिकृत कैरियर ने .....पोर्ट पर प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क जैसी भी स्थिति हो, के यहाँ \_\_\_\_\_से \_\_\_\_\_ तक \_\_\_\_\_से होकर तटीय माल को ले जाने के लिए, जो कि प्रस्थान मेनिफेस्ट में पूर्णतय वर्णित और स्पष्ट है, के लिए आवेदन करता है।

और जहां कि उक्त प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो ने उक्त तटीय माल को \_\_\_\_\_से \_\_\_\_\_ तक \_\_\_\_\_से होकर ले जाने के लिए इस शर्त पर अनुमति दे सकता है उक्त प्राधिकृत कैरियर निम्नलिखित शर्तों के साथ उक्त बंधपत्र को भरने के लिए सहमत हो।

अतः अब उपर्युक्त लिखित बंधपत्र कि शर्त यह है कि, यदि

(क) भेजे जाने के बाद गंतव्य पोर्ट पर वापस लाया गया कंटेनर उक्त प्रस्थान मेनिफेस्ट में दिये गए विवरण से भिन्न है या

(ख) उसकी वस्तुओं का विवरण उक्त प्रस्थान मेनिफेस्ट में गलत दिया गया है; या

(ग) उक्त प्रस्थान मेनिफेस्ट में वर्णित माल प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो के संतोषजनक नहीं है या यदि उक्त माल या उसका कुछ भाग सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) या इससे भिन्न किसी अधिनियम या अन्य किसी प्रकार से निर्यात शुल्क या किसी प्रतिबंध के अधीन है, किसी विदेशी भू क्षेत्र से ले जाते वक़्त खो गया है

मैं/ हम भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मांग किए जाने पर उक्त माल के मूल्य कि राशि का भुगतान करने के लिए सहमत हूँ और दंड की ऐसी राशि जो कि यथोचित अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाए या सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत मुझ पर/ हम पर लगाई जाएगी, का भी भुगतान करने के लिए सहमत हूँ/ हैं।

एतद द्वारा इस बार पर सहमत व्यक्त की जाती है कि मुझ पर/ हम पर इस बंधपत्र के अंतर्गत जितनी राशि देय होगी उसको सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142 की उपधारा (1) के अंतर्गत निर्धारित तरीके से वसूला जा सकता है। और एतद द्वारा यह घोषणा की जाती है कि उक्त भारत के राष्ट्रपति या किसी प्रधान आयुक्त या आयुक्त या किसी अन्य अधिकारी की ओर से उपर्युक्त लिखित बंधपत्र के अंतर्गत उक्त स्यूरिटी और उसके उत्तराधिकारी या उसके प्रतिनिधि को उसकी या उनकी देयता के बारे में कोई भी रियायत नहीं जारी की जाएगी।

उपर्युक्त सूची निम्न को संदर्भित

प्राधिकृत कैरियर का हस्ताक्षर

साक्षियों की उपस्थिति में

प्राधिकृत कैरियर का हस्ताक्षर

स्यूरिटी का हस्ताक्षर

साक्षियों की उपस्थिति में

स्यूरिटी का हस्ताक्षर

